

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1732/2022

दिनांक : 21.05.2022

श्री संतोष कुमार मित्तल (RJ0341), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द को दिनांक 30.04.2022 से 13.05.2022 तक 14 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.05.2022 से 15.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मित्तल की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
20.05.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/46/2000/3960

दिनांक 21.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द को उनके पत्रांक 62 दिनांक 16.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री संतोष कुमार मित्तल (RJ0341), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, राजसमन्द ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द ।

21.5.2022
सहायक रजिस्ट्रार